बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

16 मार्च, 2022

[**सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी**].

Total Short Notice Question- 5

सडक का निर्माण

*85 **श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिले के कोचस प्रखंड में सासाराम-चौसा से लेकर +2 उच्च विद्यालय कोचस, रोहतास तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त पथ का निर्माण नहीं होने क कारण विद्यालय आने वाले छात्र-छात्राओं समेत शिक्षकगण एवं आम लोगों को काफी परेशानी होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र उक्त सड़क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

कर्मियों का स्थानान्तरण

*86 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिले में जमाबंदी के करीब 50 हजार मामले विभिन्न अंचल कार्यालयों में लम्बित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सिर्फ पटना सदर अंचल एवं दानापुर अंचल कार्यालय में ही जमाबंदी के हजारों मामले राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से जानबूझकर विशेष लाभ के लिए लम्बित रखे गये हैं;

(ग) क्या यह सही है कि पटना सदर अंचल कार्यालय में अधिकांश राजस्व कर्मियों के कई-कई वर्षों से एक ही स्थान पर जमे रहने के कारण उनके द्वारा लोगों के मामले को लम्बित रखा जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना जिले के अंचल कार्यालय में वर्षों से लम्बित जमाबंदी के मामलों को एक समय सीमा के अंदर निपटारा करने और पटना सदर अंचल कार्यालय में लम्बे अरसे से जमे राजस्व कर्मियों का अन्य जिले में स्थानांतरण करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

मरम्मत एवं ढक्कन की व्यवस्था

*87 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना के एस.के नगर, किदवईपुरी, पटेलनगर, पुनाईचक, नेहरूनगर, इन्द्रपुरी, केशरीनगर आदि महल्लों में नाला के मैनहोल के खुले रहने के कारण आने-जाने वाले लोग गिरकर घायल हो जाते हैं और यातायात भी बाधित हो जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि जन प्रतिनिधियों के द्वारा नगर आयुक्त को की गई शिकायत के बावजूद भी मैनहोल की न तो मरम्मती की गई और न उस पर ढक्कन की व्यवस्था हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्मार्ट सिटी पटना की शान को कायम रखने की दृष्टि से खण्ड 'क' में उल्लिखित स्थानों के खुले मैनहोल की मरम्मती तथा ढक्कन की व्यवस्था कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

प्रशासनिक कार्रवाई

*88 **डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत अंचल- धनरुआ, हल्का – सोनमई, मौजा – देवकली, थाना नं० – 77 में खाता सं० – 109, प्लॉट नं० – 1120, खाता नं० – 114, प्लॉट नं० – 1117 एवं खाता सं० – 47, प्लॉट नं० – 1231 में स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह एवं श्री भागवत सिंह, पिता स्वर्गीय – रामफल सिंह, ग्राम – रामनगर के नाम से अलग-अलग जमाबंदी कायम कर रसीद कटता था;

(ख) क्या यह सही है कि श्री भागवत सिंह ने अपने हिस्से की लगभग जमीन बेच ली है;

(ग) क्या यह सही है कि स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह का जमाबंदी On-Line में प्रदर्शित नहीं हो रहा है जबकि इनका खतिहान, रजिस्ट्री पेपर एवं पूर्व का कटा हुआ रसीद इनके पुत्र कुमार अखिलेश द्वारा अंचलाधिकारी, धनरुआ को रजिस्ट्री के माध्यम से दिनांक – 24.01.2022 को उपलब्ध कराया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि इस संबंध में जिलाधिकारी, पटना ने भी अंचलाधिकारी, धनरुआ को यथाशीघ्र कार्य सम्पादन हेतु निदेश दिया है लेकिन अंचलाधिकारी द्वारा यह कहकर लौटा दिया जाता है कि इनके जमाबंदी का पृष्ठ फटा हुआ है;

(ङ.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह की जमीन की जमाबंदी यथाशीघ्र कायम कर दोषी अंचलाधिकारी एवं संलिप्त कर्मचारी को अविलम्ब निलंबित कर इनके ऊपर अनुशासनिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए एफ०आई०आर० दर्ज करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

चैम्बर को साफ

*89 **श्री संजय प्रकाश (विधान सभा)**:

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत, कदमकुआं, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सामने खदेरन सिंह मार्ग, डी० ब्लॉक में खदेरन बाबू के मकान के सामने चैम्बर में ढक्कन नहीं रहने के कारण मलवा रोड पर बहता रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि वहां के निवासी एवं रोड से आने-जाने वाले लोगों को गंदगी के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि नगर निगम को कई बार लिखित एवं मौखिक सूचना के बाद भी वहां चैम्बर को साफ कर आज तक ढक्कन नहीं लगाया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्वर्गीय खदेरन बाबू के मकान के सामने खुले हुए चैम्बर को साफ कराकर ढक्कन लगाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?